न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 73/18 (225 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :– 2018/00278

उनवान

चन्द्रवती पुत्री यादराम पत्नी भजनलाल जाति जाट निवासी जाटोली रतभान हाल निवासी लुलहारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

शिशुपाल पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी जाटोली रतभान तहसील व जिला भरतपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर दिनांक 08.05.2018 उनवानी चन्द्रवती बनाम शिशुपाल मु0न. 47/11

अभिभाषकगण :–
1. वकील अपीलाण्ट श्री राजेश कुमार सोगरवाल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय   दिनांक :– 21.02.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 08.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0, इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1397 रकवा 20 ऐयर वाके ग्राम जाटोली रतभान तहसील भरतपुर जो साविक खसरा नम्बर 1667 रकवा 12 विस्वा व 1668 रकवा 18 विस्वा से बना है, के खातेदार काश्तकार यादराम पुत्र भोजी थे, जो फौत हो चुके हैं; अपीलाण्ट उनके वारिस हैं। यह है कि साविक खसरा नम्बर को हाल खसरा नम्बर 1397/0.20 ऐयर बनाते समय बन्दोबस्त विभाग ने यादराम की जगह पर शिशुपाल पुत्र बलवीर सिंह के नाम दर्ज कर दिया। जबकि बन्दोबस्त विभाग को किसी की खातेदारी बदलने का कोई अधिकार नहीं था। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को एलानियॉ धमकी दी, कि विवादित आराजी मेरी खातेदारी में है। अतः मैं विवादित आराजी से

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तुम्हें बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को रहन, वय, मुन्तकिल कर दूँगा। यदि रैस्पो0 अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश, विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है, जो कि काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। बल्कि एक तरफा में राजस्व लोक अदालत में बिना पत्रावली एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि विवादित आराजी बन्दोबस्त से पूर्व अपीलाण्ट के पिता यादराम की खातेदारी में दर्ज है। जिससे रैस्पो0 का कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है एवं ना ही उनके पास विवादित आराजी को लेकर वयनामा ही है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया है। विधि अनुसार लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही आदेश पारित किये जा सकते हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारो के बीच कोई राजीनामा ही नहीं हुआ। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित हुआ है। अतः राजस्व लोक अदालत में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के नाम अथवा इनके पिता के नाम कभी खातेदारी में नहीं रही है। विवादित आराजी रैस्पो0 ने एतेन्द्र सिंह से जरिये वयनामा क्रय की है, तभी से विवादित आराजी पर रैस्पो0 खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त है। इस प्रकार एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलाण्ट के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2024–27 में अंकित विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पिता यादराम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं एवं उक्त इन्द्राज दौराने बन्दोबस्त, बन्दोबस्त विभाग ने लोपित किये हैं। जबकि बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार इंद्राज परिवर्तन का कोई अधिकार हासिल नहीं थे। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में वखूबी सावित होती है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन आदेश से खारिज किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के विंदुओं पर कोई विवेचना नहीं की गयी है, कि कैसे प्रार्थी/अपीलाण्ट अपने पक्ष में उक्त तथ्यों को साबित करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2024–27 में अंकित विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पूर्वज यादराम वतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में वखूवी सावित होती है। इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश, राजस्व लोक अदालत में पारित किया है। जबकि पक्षकारों के मध्य सहमति/राजीनामा, पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि पक्षकारों की सहमति से प्रकरण राजस्व लोक अदालत में वास्ते निर्णय हेतु रखा जाकर निर्णित किया गया हो। राजस्व विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा दिये जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 08.05.2018 अपास्त किये जाकर, ताफैसला मूल वाद विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायें रखने की पाबन्दी आयद की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 2102.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर